# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0 )
वाद सं0 : 340 सन 2021
अनवान :–

1. रामनिवास पुत्र कृष्णलाल जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. जसवन्त पुत्र कृष्णलाल जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम

1. कृष्णलाल पुत्र मामचन्द जाति जाट साकिन परलीका तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

**राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88**

उपस्थित : श्री भरतसिंह बैनीवाल अधिवक्ता वादी

पैरोकार राज

**निर्णय दिनांक :–** 06/09/2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 3 आरएमएस के खाता संख्या 56/51 की कुल 2.5300हैक में से 1/4 हिस्सा , चक 12 बारानी के खाता संख्या 132/135 की कुल 2.7830हैक में से 1/2 हिस्सा तथा चक 18 एनटीआर के खाता संख्या 75/75 की कुल 2.7830हैक में से 1/4 हिस्सा , चक 23 एनटीआर के खाता संख्या 92/91 की कुल 0.253हैक में से 1/2 हिस्सा , चक 23 एनटीआर के खाता संख्या 93/90 की कुल 0.759हैक मे से 1/4 हिस्सा , चक 25 डीपीएन के खाता संख्या 49/44 की कुल 3.0360हैक में से 1/6 हिस्सा ,चक 25 डीपीएन के खता संख्या 83/71 की कुल 5.5660हैक में से 1/4 हिस्सा , खाता संख्या 84/72 की कुल 2.2770हैक में से 1/2 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा मामचन्द वल्द श्योकरण के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा मामचन्द वल्द श्योकरण के देहान्त होने पर वाद विरासतन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा मामचन्द वल्द श्योकरण के देहान्त होने के वाद विरासतन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें सजरा खानदान अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है। जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता मामचन्द वल्द श्योकरण के देहान्त होने पर विरासतन से प्राप्त हुई है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

हिस्सा है जिसे वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 2 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 3 आरएमएस के खाता संख्या 56/51 की कुल 2.5300हैक में से 1/4 हिस्सा, चक 12 बारानी के खाता संख्या 132/135 की कुल 2.7830हैक में से 1/2 हिस्सा तथा चक 18 एनटीआर के खाता संख्या 75/75 की कुल 2.7830हैक में से 1/4 हिस्सा, चक 23 एनटीआर के खाता संख्या 92/91 की कुल 0.253हैक में से 1/2 हिस्सा, चक 23 एनटीआर के खाता संख्या 93/90 की कुल 0.759हैक मे से 1/4 हिस्सा, चक 25 डीपीएन के खाता संख्या 49/44 की कुल 3.0360हैक में से 1/6 हिस्सा ,चक 25 डीपीएन के खता संख्या 83/71 की कुल 5.5660हैक में से 1/4 हिस्सा, खाता संख्या 84/72 की कुल 2.2770हैक में से 1/2 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा मामचन्द वल्द श्योकरण के नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज थी वादी के दादा मामचन्द वल्द श्योकरण के देहान्त होने पर वाद विरासतन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा मामचन्द वल्द श्योकरण के देहान्त होने के बाद विरासतन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें सजरा खानदान अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है। जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 3 आरएमएस के खाता संख्या 56/51 की कुल 2.5300हैक में से 1/4 हिस्सा, चक 12 बारानी के खाता संख्या 132/135 की कुल 2.7830हैक में से 1/2 हिस्सा तथा चक 18 एनटीआर के खाता संख्या 75/75 की कुल 2.7830हैक में से 1/4 हिस्सा, चक 23 एनटीआर के खाता संख्या 92/91 की कुल 0.253हैक में से 1/2 हिस्सा, चक 23 एनटीआर के खाता संख्या 93/90 की कुल 0.759हैक मे से 1/4 हिस्सा, चक 25 डीपीएन के खाता संख्या 49/44 की कुल 3.0360हैक में से 1/6 हिस्सा ,चक 25 डीपीएन के खता संख्या 83/71 की कुल 5.5660हैक में से 1/4 हिस्सा, खाता संख्या 84/72 की कुल 2.2770हैक में से 1/2 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 के अनुसार वाद भूमि मामचन्द वल्द श्योकरण के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा मामचन्द वल्द

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

श्योकरण के नाम से दर्ज है वादी के दादा मामचन्द वल्द श्योकरण के देहान्त होने के वाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 ,8 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 3 आरएमएस के खाता संख्या 56/51 की कुल 2.5300हैक्ट में से 1/4 हिस्सा , चक 12 बारानी के खाता संख्या 132/135 की कुल 2.7830हैक्ट में से 1/2 हिस्सा तथा चक 18 एनटीआर के खाता संख्या 75/75 की कुल 2.7830हैक्ट में से 1/4 हिस्सा , चक 23 एनटीआर के खाता संख्या 92/91 की कुल 0.253हैक्ट में से 1/2 हिस्सा , चक 23 एनटीआर के खाता संख्या 93/90 की कुल 0.759हैक्ट मे से 1/4 हिस्सा , चक 25 डीपीएन के खाता संख्या 30/30 की 2.0240हैक्ट चक 25 डीपीएन के खाता संख्या 49/44 की कुल 3.0360हैक्ट में से 1/6 हिस्सा ,चक 25 डीपीएन के खता संख्या 83/71 की कुल 5.5660हैक्ट में से 1/4 हिस्सा , खाता संख्या 84/72 की कुल 2.2770हैक्ट में से 1/2 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को बहिव का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा रोही मौजा चक 19 एनटीआर के खाता संख्या 198/68 की कुल 3.0360हैक्ट में से 1/3 हिस्सा व रोही मौजा चक 25 डीपीएन के खाता संख्या 35/34 की कुल 3.5420हैक्ट में से 5/14 हिस्सा व खाता संख्या 68/58 की कुल 4.0480हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगें। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 06/09/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )
नोहर ( हनुमानगढ )

Scanned with CamScanner

# पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी )

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर**

अनवान :–

1. रामनिवास पुत्र कृष्णलाल जाति जाट निवारी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. जसवन्त पुत्र कृष्णलाल जाति जाट निवारी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम

1. कृष्णलाल पुत्र मामचन्द जाति जाट साकिन परलीका तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

**वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**
**राजस्व वाद संख्या 340 सन 2021 निर्णय दिनांक–** 06/09/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 3 आरएमएस के खाता संख्या 56/51 की कुल 2.5300हैक में से 1/4 हिस्सा, चक 12 बारानी के खाता संख्या 132/135 की कुल 2.7830हैक में से 1/2 हिस्सा तथा चक 18 एनटीआर के खाता संख्या 75/75 की कुल 2.7830हैक में से 1/4 हिस्सा, चक 23 एनटीआर के खाता संख्या 92/91 की कुल 0.253हैक में से 1/2 हिस्सा, चक 23 एनटीआर के खाता संख्या 93/90 की कुल 0.759हैक मे से 1/4 हिस्सा, चक 25 डीपीएन के खाता संख्या 30/30 की 2.0240हैक चक 25 डीपीएन के खाता संख्या 49/44 की कुल 3.0360हैक में से 1/6 हिस्सा ,चक 25 डीपीएन के खता संख्या 83/71 की कुल 5.5660हैक में से 1/4 हिस्सा, खाता संख्या 84/72 की कुल 2.2770हैक में से 1/2 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को बहिब का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मोजा चक 19 एनटीआर के खाता संख्या 198/68 की कुल 3.0360हैक में से 1/3 हिस्सा व रोही मौजा चक 25 डीपीएन के खाता संख्या 35/34 की कुल 3.5420हैक में से 5/14 हिस्सा व खाता संख्या 68/58 की कुल 4.0480हैक भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे

पर्चा डिक्री आज दिनांक 06/09/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )
नोहर ( हनुमानगढ )

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner